



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127198

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19793 वर्ष 2026

कमलेश

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : संजीव कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, राम सागर, उत्कर्ष त्रिपाठी

न्यायालय सं - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री संजीव कुमार सिंह को सुना।

2. धारा 103(1), 191(2), 191(3), 190, 125, 115(2), 352 बी.एन.एस., थाना धनघाटा, जिला-संत कबीर नगर के तहत मुकदमा अपराध संख्या-0243 वर्ष 2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए प्रस्तुत जमानत याचिका दायर की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। प्राथमिकी में 5-6 अज्ञात व्यक्तियों के साथ आठ लोगों को नामजद किया गया था और प्राथमिकी में सभी आरोपियों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं। मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, उसके शरीर पर केवल दो चोटें आई थीं और गवाहों द्वारा कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उपरोक्त दो चोटों का लेखक कौन था, और गवाहों द्वारा आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाए गए थे। तीन अन्य लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन उनकी चोटें भी साधारण थीं। ओकुलर संस्करण की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा नहीं की जाती है। यदि अभियोजन पक्ष के संस्करण को उसके अंकित मूल्य पर सत्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माना जाता है, तो भी यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत अपराध किया गया है। अपराध धारा 105 बी.एन.एस. से आगे नहीं जाएगा। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 28.04.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. ततस्य विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि, मृतक के अलावा, तीन अन्य व्यक्तियों को भी चोटें आईं। हालांकि, इस बात पर विवाद नहीं है कि घायल व्यक्तियों को लगी चोटें प्रकृति में साधारण थीं।

5. मैंने पक्षगण के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. प्राथमिकी में 5-6 अज्ञात व्यक्तियों के साथ आठ लोगों को नामजद किया गया था, जबकि मृतक को केवल दो चोटें आई थीं। आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं, और यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि घातक चोट का लेखक कौन था।

7. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेखों पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा की गई कैद की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक ने जमानत देने के लिए एक मामला बनाया है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

9. आवेदक- कमलेशजो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।



(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 द०प्र०स०/84 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) की धारा 174-क के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

15 जून 2026

राधिका

Translated Version. Not for Legal Use.